(3)

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 2177 / FP/UK/ROAD/38079/2019 :देहरादूनःदिनांकः 11 मार्च, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,पर्यावरण, वन
एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 02 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी./यू.सी.पी./06/111/2019/एफ0सी0/884 दिनॉक 07.08.2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 1928/12–1 दिनांक 24–02–2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त सं0 01 के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जायेगी।	शर्त सं0 02 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी की सहमति है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.551 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम कुण्डी सिविल खसरा नं0 1595 रक्वा 5.035 है0, 1600 रक्वा 0.421 है0, 1601 रक्वा 0.133 है0, 1612 रक्वा 0.678 है0, 1621 रक्वा 0.284 है0 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचे। ख) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्राजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। **ख)** गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष मे हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2-4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व के बाहर के है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन	शर्त सं0 03 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 6.551 है0 गैर वानिकी कार्यो भूमि ग्राम कुण्डी सिविल सोयम भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु देय धनराशि रू0 22,08,892.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की गयी है एवं वृक्षारोपण में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियां लगायी जायेगी। शर्त सं0 3(ख) का अनुपालन किया जायेगा। शर्त सं0 3(ग) के अनुपालन में राजस्व विभाग द्वारा 6.551 है0 भूमि ग्राम कुण्डी सिविल सोयम भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण/अमलदरामद की गई है, तथा उक्त भूमि के Notification के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र भी संलग्न है **(संलग्न–1)**।

	अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। ग)वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तह् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	शर्त सं0 3(घ) के अनुपालन में वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है **(संलग्न–2)**।
4	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** **क)** इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में आई0ए0 नम्बर 556 दिनॉक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2) दिनॉक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनॉक 03.10.2006 एवं 5–13/2007–एफ0सी0 दिनॉक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.275 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, तो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	4 (क) के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 5–3/2007, एफ0सी0 दिनांक 05/2/ 2009 में उल्लिखित दरो के अनुसार क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र की गणना के अनुसार देय धनराशि रू0 21,51,675.00 ऑन लाईन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। 4 (ख) शर्त सं0 03 के अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की दर में जो बढ़ोत्तरी होती है उसे जमा करने की बचनबद्वता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है प्रति संलग्न है। **(संलग्न–03)**
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 206 वृक्षो से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्त सं0 05 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई प्रस्ताव के अनुसार ही की जायेगी एवं पेड़ो के कटान की लागत वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी।
6	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stageII approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त सं0 06 का अनुपालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रवक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https:parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड़ में स्थानातंरित/जमा किया जाएगा।	शर्त सं0 07 के अनुपालना में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कुल देय धनराशि रूपयें 43,60,567.00 ऑनलाईन जनरेट चालान के माध्यम जमा की जा चुकी है, की प्रति संलग्न है। **(संलग्न–04)**
8	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त सं0 08 का अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अधिकार जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाणपत्र के माध्यम से किया जाएगा।
9	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।	शर्त सं0 09 का अनुपालना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा की जायेगी।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त सं0 10 के अनुपालना में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
11	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाऐगा।	शर्त सं0 11 के अनुपालना में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट नहीं बदला जायेगा।

12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाऐगा।	शर्त सं0 12 के अनुपालना मे वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूर को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाऐगा।	शर्त सं0 13 के अनुपालना मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनों श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।
14	संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमाकंन किया जाएगा।	शर्त सं0 14 के अनुपालन में संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त सं0 15 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।
16	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।	शर्त सं0 16 के अनुपालन में प्रत्यावर्तन की इस अनुमोदन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	शर्त सं0 17 के अनुपालना में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति मे किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	शर्त सं0 18 के अनुपालना में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमानित के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी अन्य एजेन्सियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जाएगी।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल सं0 11–42/2017–एफ0सी0 दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त सं0 19 के अनुपालना में किसी भी शर्त का उल्लघंन नहीं किया जाएगा।
20	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	शर्त सं0 20 के अनुपालना में प्रयोक्ता एजेन्सी सहमति देती है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण एवं विकास के हित समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।
21	The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down. The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency	In Compliance of the condition no 20 user agency shall carry out muck disposal in predesignated sites in such a manner so as to aviod its rolling down and retaining walls/terracing shall be carried out for holding the dupling in place.
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुछेद/ नियम	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुछेद/

	/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव परलागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुमति ली जायेगी।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https:parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://pravish.nic/in) पर अपलोड की गई है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,

संख्या– 2177 / FP/UK/ROAD/38079/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 1928/12–1 दिनांक 24–02–2022।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,